

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-7) विभाग

क्रमांक: प.1(9)गृह-7/2022

जयपुर, दिनांक: 28 APR 2023

—: आदेश :-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के नियम 15 के अनुसार गृह रक्षा विभाग के निम्नांकित अधिकारी को राज्य सेवा में 30 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर संतोषजनक सेवा संबंधी प्रपत्र, गत 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता एवं संतान सम्बंधी घोषणा के आधार पर इन्हें तृतीय आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम मय पदनाम	नियुक्ति तिथि	तृतीय ए.सी.पी स्वीकृत करने की तिथि	वर्तमान में देय पे-मेट्रिक्स एवं वेतन	तृतीय ए.सी.पी. पर देय पे-मेट्रिक्स एवं वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेन्द्र कुमार जांगिड, उप समादेष्टा	21.05.1992	21.05.2022	पे-मेट्रिक्स-14 82,400/-	पे-मेट्रिक्स-15 86,400/-

शर्तें:-

- कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में दिनांक 16.06.2002 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी संतान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- एसीपी की देय तिथि से ठीक 7 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धियां मिलने एवं उक्त अवधि की सेवाएं सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- संबंधित गृह रक्षा सेवा अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्ववर्ती 7 वर्षों में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- उक्त कॉलम संख्या 3 में अंकित नियुक्ति तिथि से नियमित रूप से सेवा में होने की अधिकारी की घोषणा।
- संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार गृह रक्षा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टि की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इनकी पुष्टि का इन्द्राज संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिकों में दिनांक 21.05.2022 को निष्पत्ति निर्धारण किया जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि से पूर्ववर्ती 7 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजसेवा में कार्य करने की घोषणा।

RajKaj Ref No. : 3737490

Digitally signed by Seema Kumar, Designation: Joint Secretary, To Government of Rajasthan, Date: 2023.04.28 17:08:07 IST, Reason: Approved



6. उक्त प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 15 के तहत लेवल-15 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में की जावेगी।

आज्ञा से,

(सीमा कुमार)

संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक 23099 दिनांक 08.08.2022 के क्रम में।
2. वरिष्ठ शासन सचिव, गृह (युप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशालय गृह रक्षा।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Seema Kumar
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.28 17:08:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3737490

Z:\Dgt\PIV\Bajaj\Kaj Ref No. 3737490\3737490\PIV\3737490\3737490.docx

